न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी – 3335/2018/रीवा/भू.रा

1– भक्तदर्शन तनय रामेश्वर प्रसाद, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती

2– राजकमल तनय रामेश्वर प्रसाद उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती

दोनो निवासी ग्राम चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

———निगरानीकर्तागण

बनाम्

1– राम प्रसाद तनय बद्रीराम, उम्र 80 वर्ष, पेशा खेती

2– रामप्रपंच तनय हरमंगल, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती

3– श्रीनिवास तनय हरमंगल, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती,
तीनो निवासी ग्राम चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

4– मिथिलेश कुमार तनय रमेश कुमार, उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती

5– शिवदयाल तनय रमेश कुमार, उम्र 58 वर्ष, पेशा खेती

6– अखिलेश कुमार तनय रमेश प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, पेशा खेती
तीनो निवासी ग्राम त्योंथर, तह0–त्योंधर, जिला रीवा (म0प्र0)

7– श्रीमती ऊषा पत्नी रमाकान्त पाण्डेय, उम्र 50 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी ग्राम अमिलिया पुरवा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

8– श्रीमी पुष्पांजली पुत्री रमेश कुमार, उम्र 45 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी ग्राम पटहट, तहसील त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

9– जगनायक तनय लोकनाथ, उम्र 80 वर्ष, पेशा खेती

10– रामलखन तनय लोकनाथ, उम्र 75 वर्ष, पेशा खेती

11– रामकैलाश तनय रघुनाथ, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती

12– रामराज तनय रघुनाथ, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती

13– रमाकान्त तनय रघुनाथ, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती
क्र0–9 लगायत 13 निवासी ग्राम चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

Raj Kamal Shukla

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध आदेश अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा दिनांक 20/03/2018 पारित प्रकरण क्र0– 292/निगरानी/अ–27/11–12 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

प्रार्थना पत्र निगरानी के आधार नीचे लिखे अनुसार है –

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से कायम रखने योग्य नही है ।

2– यह कि अनावेदक राम प्रसाद द्वारा वादग्रस्त भूमियों के विभाजन का आवेदन धारा 178 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार सन् 1981 में प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्र0–11/अ–27/81–82 पंजीबद्ध कर राजीनामा के आधार पर दिनांक 24/10/1983 को आदेश पारित हुआ था । आदेश दिनांक 24/10/1983 की कोई अपील सन् 1997 तक नही की गई थी । इस प्रकरण में निगरानीकर्तागण पक्षकार नही थे ।

3– यह कि विवादित भूमियों के संबंध में रामप्रसाद तनय बद्रीराम द्वारा विभाजन सन् 1983 के विपरीत अगस्त सन् 1990 में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके पैरा नं0–4 में यह कथन है कि प्रति0 नं0–2 (इन्द्रकलिया पुत्री बद्रीराम प्रति0 नं0–2 दावा में दर्ज है) ने अपना स्वत्व वादी व उनके सगे भाई हरमंगल (जो अब मृतक है) के हक में परित्याग कर दिया है । ऐसी स्थिति में सन् 1997 मे इन्द्रकलिया को अपील करने का हक नही था क्योंकि वाद पत्र के कथन के अनुसार भूमि में उसका स्वत्व समाप्त था, उसने कभी भी किसी विवादित भूमि में कब्जा भी नही किया था । आदेश दिनांक 24/10/1983 को विरूद्ध अपने बहन इन्द्रकलिया से सांठ–गांठ कर उसके नाम से रामप्रसाद ने ही परोक्ष रूप से अपील दायर कराया था वही लगातार पैरवी भी कर रहे है, इसलिये इस

Raj Kamal Shukla

(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/3335/18/रीवा/भू.रा., भक्तदर्शन/रामप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
01-1-19	आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 292/निग/अ-27/11-12 में पारित आदेश दिनांक 20/03/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुवत रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	